



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232043
CG-DL-E-21122021-232043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711]
No. 711]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

संचार मंत्रालय

(बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 870(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015; इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने से लोप किए गए कार्यों को छोड़कर, अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति से छूट) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम ऐसे वायरलेस उपस्कर पर लागू नहीं होंगे जिनका प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 के अधीन टाइप अनुमोदन किया गया है, और वह अपनी अवधि तक प्रभावी रहेगा।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

3. छूट – किसी व्यक्ति को निम्न सारणी में अंतर्विष्ट तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन करते हुए गैर-हस्तक्षेप, गैर-संरक्षण और साझा तथा गैर-विशिष्ट आधार पर आवर्ती बैंड में प्रेरणिक उपयोजन (प्रेरणिक प्रक्रिया के माध्यम से वायरलेस चार्जिंग सहित) के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग के प्रयोजन हेतु किसी भी बेतार टेलीग्राफी उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने अथवा व्यापार करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात:-

सारणी:

क्र.सं.	फ़िक्वेंसी बैंड (किलोहर्ट्ज़)	चुंबकीय क्षेत्र शक्ति सीमा	स्पेक्ट्रम पट्टा और शमन अपेक्षाएँ	टिप्पणियाँ	*ईएन सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	9-90	10 मीटर की दूरी पर 72 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
2	90-119	10 मीटर की दूरी पर 42 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
3	119-135	10 मीटर की दूरी पर 66 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
4	135-140	10 मीटर की दूरी पर 42 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
5	140-148.5	10 मीटर की दूरी पर 37.7 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
6	3155-3400	10 मीटर की दूरी पर 13.5 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
7	148.5- 5000; उपरोक्त क्रमांक 6 में उल्लिखित उप-बैंड को छोड़कर	10 मीटर की दूरी पर -15 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	बाहरी एंटेना के मामले में केवल लूप कॉइल एंटेना लगाया जा सकता है। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता 10 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में निर्दिष्ट है। 10 मीटर की दूरी पर अधिकतम अनुमत्य कुल चुंबकीय क्षेत्र की ताकत -5 dB μ A / m है जो 10 किलोहर्ट्ज़ से बड़े बैंडविड्थ पर काम करने वाले सिस्टम के लिए घनत्व सीमा (-15dB μ A / m 10 kHz की बैंडविड्थ में) रखते हुए कार्य कर रही है।	ईएन 300 330
8	7400-8800	10 मीटर की दूरी पर 9 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330

9	10200-11000	10 मीटर की दूरी पर 9 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	-----	ईएन 300 330
10	उपरोक्त (i) क्रमांक 8 और 9 में उल्लिखित उप-बैंडों को छोड़कर 5000-30000; तथा (ii) 6765-6795, जिसकी सीमा जीएसआर 1047 (ई) तारीख 18.10.2018 की तालिका-1 में निर्दिष्ट है	10 मीटर की दूरी पर -20 dB μ A / m	अपेक्षित नहीं	बाहरी एंटेना के मामले में केवल लूप कॉइल एंटेना नियोजित किया जा सकता है। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता 10 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में निर्दिष्ट है। 10 मीटर की दूरी पर अधिकतम अनुमत कुल चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता -5 dB μ A / m है जो 10 किलोहर्ट्ज़ से बड़े बैंडविड्थ पर काम करने वाले सिस्टम के लिए घनत्व सीमा (-20dB μ A / m 10 kHz की बैंडविड्थ में) रखते हुए कार्य कर रही है।	ईएन 300 330

*ईएन: ईएन यूरोपियन दूरसंचार मानक संस्था (ईटीएसआई) द्वारा यथाप्रस्तुत सामंजस्यपूर्ण यूरोपियन मानक के लिए एक संख्या और संक्षेपाक्षर है।

नोट: उपरोक्त सारणी के प्रयोजन के लिए, प्रेरणिक उपयोजन में कार इमोबिलाइज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) एप्लिकेशन शामिल हैं, उदाहरण के लिए, स्वचालित वस्तु पहचान, संपत्ति ट्रैकिंग, अलार्म सिस्टम, अपशिष्ट प्रबंधन, व्यक्तिगत पहचान, अभिगम नियंत्रण, निकटता संसर, विरोधी -थेफ्ट सिस्टम, लोकेशन सिस्टम, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस (एनएफएस) अनुप्रयोग जैसे कि हैंडहेल्ड युक्ति में डेटा अंतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटी-थेफ्ट सिस्टम जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) एंटी-थेफ्ट इंडक्शन सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांस (ईएएस) आदि शामिल हैं। वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, एनिमल आइडेंटिफिकेशन, केबल डिटेक्शन, वायरलेस वॉयस लिंक, ऑटोमैटिक रोड टोलिंग, वायरलेस पावर ट्रांसफर (डबल्यूपीटी) अथवा इंडक्टिव लूप सिस्टम के जरिए वायरलेस चार्जिंग जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच रेडियो संचार, आदि होता है।

4. व्यतिकरण- (1) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन को, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकिरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षक, उपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति में प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटीना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के प्रयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन बेतार प्रयोग के रोके जाने की सिफारिश करने से पूर्व वह प्राधिकारी बेतार उपस्कर के प्रयोक्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

5. उपस्कर टाइप अनुमोदन- (1) वायरलेस उपस्कर को इस ढंग से डिजाइन और तैयार किया जाएगा कि उत्सर्जन की बैंडविड्थ और अन्य मानक नियम 3 में निर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों और ऐसे उपस्कर टाइप अनुमोदित होंगे, और उपस्कर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को उपाबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन किया जाएगा।

(2) स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग और हानिकारक व्यतिकरण से बचने के लिए उपस्कर में संबंधित ईएन नंबर का अनुपालन किया जाएगा।

(3) संबंधित युक्तियों और आवृत्ति बैंडों के लिए सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएँ अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय मानकों जैसे यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) अथवा यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) अथवा अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (एएनएसआई) अथवा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अथवा अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी), के अनुसार होंगी।

उपाबंध**उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन**

(नियम 5 (1) देखिए)

भाग-क-आवेदक

1. उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम :
2. विनिर्माता अभिकरण का डाक पता :
3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता :
4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि) :

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

5. आवृत्ति रेंज:
6. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं. :
7. वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं. :
(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
8. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण
(डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में) :
9. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण
(मल्टी-चैनल उपस्कर की दशा में) :
10. आवृत्ति स्थायित्व
11. कूट/सन्नादी विकरण :
 - i. कैरियर सप्रेसन :
(कैरियर सप्रेसड तंत्र की दशा में)
 - ii. अवांछित साइड बैंड सप्रेसन :
(एसएसबी तंत्र की दशा में)
 - iii. द्वितीय सन्नादी विकरण :
 - iv. तृतीय सन्नादी विकरण :
12. अधिकतम आवृत्ति विचलन :
13. उत्सर्जन की रीति :
14. उत्सर्जन की बैंडविड्थ :
15. परीक्षण टोन विचलन :
16. आधार बैंड आवृत्ति :
(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
17. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का प्रकार :

18. पूर्व-जोर :
19. विद्युत आउटपुट :
(एंटीना के इनपुट पर)
20. कोई अन्य जानकारी :
- भाग-ग-प्रापकों का विवरण**
21. आवृत्ति रेंज :
22. प्राप्ति की रीति :
23. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया :
24. संवेदनशीलता :
25. आवृत्ति स्थायित्व :
26. (क) प्रभावी ध्वनि तापमान :
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर :
27. मध्यवर्ती आवृत्ति :
28. जोर मुक्ति :
29. चयनशीलता :
30. कोई अन्य विशिष्टियां :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(नोट: प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

[फा. सं.आर-11019/01/2021-पीपी]

असीम दत्ता, उप-बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

G.S.R. 870(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), and in supersession of the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title, commencement and application. — (1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from License) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall not be applicable to the wireless equipment which has been type approved under the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015, and shall be effective till the end of its life.

2. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Act;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. **Exemption.** — No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless telegraphy apparatus for the purpose of usage of very low power radio frequency devices or equipments for Inductive Applications (including wireless charging through inductive process) in the frequency bands mentioned below, on non-interference, non-protection and shared and non-exclusive basis, complying with the technical specification contained in the following Table, namely: —

TABLE:

S.No.	Frequency Band (kHz)	Magnetic Field Strength limit	Spectrum access and mitigation requirements	Remarks	*EN No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	9-90	72 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
2	90-119	42 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
3	119-135	66 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
4	135-140	42 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
5	140-148.5	37.7 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
6	3155-3400	13.5 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
7	148.5-5000; except the sub-band mentioned at SI No. 6 above	-15 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	In case of external antennas only loop coil antennas may be employed. The maximum magnetic field strength is specified in a bandwidth of 10 kHz. The maximum allowed total magnetic field strength is -5 dB μ A/m at 10m for systems operating at bandwidths larger than 10 kHz whilst keeping the density limit (-15 dB μ A/m in a bandwidth of 10 kHz)	EN 300 330
8	7400-8800	9 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330

9	10200-11000	9 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	-----	EN 300 330
10	5000-30000 except the sub-bands mentioned at (i) SI No. 8 & 9 above; and (ii) 6765-6795, the limit of which is specified in Table-1 of G.S.R. 1047(E) dated 18.10.2018	-20 dB μ A/m at 10m distance	No requirement	In case of external antennas only loop coil antennas may be employed. The maximum magnetic field strength is specified in a bandwidth of 10 kHz. The maximum allowed total magnetic field strength is -5 dB μ A/m at 10m for systems operating at bandwidths larger than 10 kHz whilst keeping the density limit (-20 dB μ A/m in a bandwidth of 10 kHz)	EN 300 330

*EN: is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Note: For the purpose of the above Table, Inductive application includes car immobilisers, radio frequency identification (RFID) applications including for example, automatic article identification, asset tracking, alarm systems, waste management, personal identification, access control, proximity sensors, anti-theft systems, location systems, Near Field Communications (NFC) applications such as used for data transfer to handheld devices, anti-theft systems including Radio Frequency (RF) antitheft induction systems such as Electronic Article Surveillance (EAS) etc., wireless control systems, animal identification, cable detection, wireless voice links, automatic road tolling, wireless power transfer (WPT) or wireless charging through inductive loop system having radiocommunication between transmitter and receiver, etc.

4. Interference. — (1) Radio frequency interference is the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, and where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Act, informs the Authority that such licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then the Authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae, failing which the Authority shall recommend discontinuation of such wireless use.

(2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation of discontinuation of wireless use under sub-rule (1).

5. Equipment type approval. — (1) The wireless equipment shall be designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 3 and such equipment shall be type approved, and the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the format given in the Annexure to these rules.

(2) The equipment shall comply with the respective EN number for effective use of spectrum and to avoid harmful interference.

(3) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as International Telecommunication Union (ITU) or European Telecommunications Standards Institute (ETSI) or American National Standards Institute (ANSI) or Bureau of Indian Standards (BIS) or International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), as the case may be, for the respective devices and frequency bands.

ANNEXURE**APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL**

[See rule 5(1)]

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying :
for equipment type approval
2. Postal address of manufacturing Agency :
3. Name and address of Indian agency
applying for the type approval.
4. Name of product and the product
Identification (model number etc.,) :

Section- B- Details of Transmitter

5. Frequency range :
6. No. of preset switchable channels :
7. No. of voice /Data/ TV Channels :
(In case of multi- channel equipment)
8. Tx-Rx channel separation :
(In case of Duplex/multi-channel equipment)
9. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
10. Frequency stability :
11. Spurious/ Harmonic radiations :
 - i. Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - ii. Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)
 - iii. 2nd Harmonic radiations :
 - iv. 3rd Harmonic radiations :
12. Max. Frequency Deviation :
13. Mode of emission :
14. Bandwidth of emission :
15. Test Tone deviation :
16. Base band frequency :
(In case of multi-channel equipment)
17. Type of modulation to be required :
18. Pre-emphasis :
19. Power output :
(At the input of antenna)
20. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

21. Frequency range :
22. Mode of reception :
23. Spurious response of receiver :
24. Sensitivity :
25. Frequency stability :
26. (a) Effective noise temperature :
- (b) Threshold input level :
27. Intermediate frequency :
28. De-emphasis :
29. Selectivity :
30. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

[F. No. R-11019/01/2021-PP]

ASHIM DUTTA, Dy. Wireless Adviser